

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर ।  
पत्रांक- 4379 / 14-1 दिनांक, मुजफ्फरनगर, 03/02/2021 ।  
सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।

विषय:-

जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग (एस0एच0-59 मार्ग) कि0मी0 चैनैज-13.200 की बायीं पटरी पर खसरा-128 भाग, ग्राम बेगमपुर, तहसील- सदर, जिला- मुजफ्फरनगर में मै0 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0मैरट के प्रस्तावित रिटेल आऊटलेट की स्थापना एवं रिटेल आऊटलेट के प्रवेश व निकास मार्ग में बाधक 06 वृक्षों के पातन सहित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

संदर्भ-

आपका पत्रांक-3434 / 14-1 (118062) दिनांक-29.01.2021  
(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Approch/118062/2020 )

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपत्तियों का निराकरण निम्नवत प्रेषित है:-

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	ले-आऊटलेट प्लान पर उपशा के अधिकारियों का नाम अंकित नहीं है।	ले-आऊटलेट प्लान पर उपशा के अधिकारियों का नाम अंकित कर दिये गये है।
2	पातन हेतु बाधक वृक्षों का सारांश, ऑन लाईन प्रपत्र के अनुसार संलग्न नहीं किया गया है।	पातन हेतु बाधक वृक्षों का सारांश, ऑन लाईन प्रपत्र के अनुसार संलग्न कर दिया गया है।
3	वनाधिकार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भारत सरकार के संशोधित प्रारूप में संलग्न नहीं है।	वनाधिकार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भारत सरकार के संशोधित प्रारूप में संलग्न कर दिया गया है।
4	प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के समस्त कॉलम नहीं भरे गये है।	प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के समस्त कॉलम भर दिये गये है।
5	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल से सम्बन्धित SOI Topo Sheet में एवं सी0डी0 में उक्त क्षतिपूरक मानचित्र में परियोजना का शीर्षक अंकित नहीं किया गया है।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल से सम्बन्धित SOI Topo Sheet में एवं सी0डी0 में उक्त क्षतिपूरक मानचित्र में परियोजना का शीर्षक अंकित कर दिया गया है।
6	परियोजना के 10 कि0मी0 क्षेत्र में कोई वन्य जीव विहार न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	परियोजना के 10 कि0मी0 क्षेत्र में कोई वन्य जीव विहार न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रस्ताव (04 प्रतियों में) में पायी कमियों का उपरोक्तानुसार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रस्ताव को उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भववीय,

(सूरज)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मुजफ्फरनगर।

## Form-1

(for Plantations on non-forest land and notified as " protected forest" on or after 13<sup>th</sup> December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census )

[ Rule 6(3) of Forest ( Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Ultra Pradesh

Office of District Collector

No. 4431/14-1/DFO/M22 Dated 05/02/2021  
2021

**TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN**

In compliance of the Rule 6(3) (e) of the Forest ( conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014, Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014, and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that 0.2024 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of M/S Bharat Petroleum Corporation Ltd. Meerut for the purpose of Construction of Approach Road for Retel outlet on along Muzaffarnagar -Saharanpur Road(Khasara No.-128 Part Village - Begampur Tehsil- Sadar Disst. Muzaffarnagar ) in the district falls within the jurisdiction Disstrict Muzaffarnagar, village Begampur in sadar tehsil having no recorded population of Scheduled Tribes per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that.

- The Protected Forest namely Muzaffarnagar- Saharanpur involved in the above villages are plantation raised on non-forest land on or after 13<sup>th</sup> December 1930 and were notified as PF vide notification no 1115/14-331-50 dated -10.02.1960 .
- There fore, these PF neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers ( residing in the PF for more than 75 years) having rights recognized under Foresst Rights Act, 2006

(Suraj)  
Divisional Director  
Social Forestry Division  
Muzaffarnagar  
(सूरज)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मुजफ्फरनगर

(Selva Kumari J)  
District Collector  
Muzaffarnagar  
24/2/21

District Social Welfare Officer  
Muzaffarnagar

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
मुजफ्फरनगर

(सेल्वा कुमारी जे.)  
जिलाधिकारी  
मुजफ्फरनगर।



**Proposal No- FP/UP/Approach/ 118062 /2020**

0.2024 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted for approach to BPCL Retail Outlet on Muzaffarnagar-Saharanpur road (Km. chainage 13.200, LHS) within 3 Km. of Rohana Khurd Toll Barrier, Khasera no. 128 (part of) village Begampur, Tehsil & Distt. Muzaffarnagar

**Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees**

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Eucalyptus	eukalyptus	0	1	0	1	2	2
Total			0	1	0	1	2	2
Sub Total (No of Trees.)			6					

*Singh*  
03/12/2021

(सूरज)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

(सूरज)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मुजफ्फरनगर,

मुजफ्फरनगर

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर  
पत्रांक 3434/14-10(118062) सहारनपुर 29/1/2021  
रोवा में

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुजफ्फरनगर।

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग (एस0एच0-59) कि0मी0 चेनेज-13.200 की बांयी पटरी पर खसरा संख्या- 128(भाग), ग्राम बेगपुर, तहसील-सदर, जिला- मुजफ्फरनगर में मै10 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, मरठ के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना एवं रिटेल आउटलेट के प्रवेश व निकास मार्ग में बाधक 06 वृक्षों के पातन सहित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 4268/14-1 दिनांक 28.01.2021 ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/118062/2020

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.01.2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में निम्नांकित त्रुटियां पायी गयी हैं :-

- 1- ले आउट प्लान पर उपशा के अधिकारियों का नाम अंकित नहीं है।
- 2- पातन हेतु बाधक वृक्षों का सारांश, ऑन लाइन प्रपत्र के अनुसार संलग्न नहीं किया गया है।
- 3- वनाधिकार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भारत सरकार के संशोधित प्रारूप में संलग्न नहीं है।
- 4- प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के समस्त कालम नहीं भरे गये हैं।
- 5- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल से सम्बन्धित SOI Topo Sheet में एवं सी0डी0में उक्त क्षतिपूरक मानचित्र में, परियोजना का शीर्षक अंकित नहीं किया गया है।
- 6- परियोजना के 10 कि0मी0 क्षेत्र में कोई वन्य जीव विहार न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

अतः उक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये प्रस्ताव तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव मूल में वापस किया जाता है।  
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अग्रप्रेषित  
(सुरेश चन्द्र पाण्डे)  
प्रशासनिक अधिकारी  
कार्यालय वन संरक्षक  
सहारनपुर वृत्त  
सहारनपुर

(एन0के0जानू)  
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक  
सहारनपुर वृत्त,  
सहारनपुर

**Proposal No- FP/UP/Approach/ 118062 /2020**

0.2024 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted for approach to BPCL Retail Outlet on Muzaffarnagar-Saharanpur road (Km. chainage 13.200, LHS) within 3 Km. of Rohana Khurd Toll Barrier, Khasera no. 128 (part of) village Begampur, Thehsil & Distt. Muzaffarnagar

“ वन्य जीव विहार / राष्ट्रीय पार्क से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य प्रस्ताव से सम्बन्धित क्षेत्र, किसी वन्य जीव विहार / राष्ट्रीय पार्क अथवा उसके इको सेन्सिटिव जोन की 10 कि०मी० परिधि से बाहर है।

स्थान—मुजफ्फरनगर

दिनांक—

(कुलदीप सिंह)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
मुजफ्फरनगर

(कुलदीप सिंह)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
मुजफ्फरनगर

23-01-2021

(सूरज)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मुजफ्फरनगर

(सूरज)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मुजफ्फरनगर



**SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF**  
**(For the forest Land to be diverted under FCA)**

A Proposal has been received by this office from M/s Bharat Petroleum Corporation Ltd Meerut for Construction of Approach Road of Retail Outlet under (FCA-1980) of 0.2024 ha. of Protected forest land for non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for Construction of Approach Road in Village- Begampur, Tehsil- Sadar, District Muzaffarnagar.

The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated. 16.1.21. On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Protected forest measuring 0.2024 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency on col-2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. *Yes*

Whether any rare / endangered/ unique species of flora and fauna found in the area. if, so the details there of- No.

Whether any protected archeological/ heritage site/ defense establishment of any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required- No

- (a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction., (✓).
- (b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation, Act 1980 provisions. Detailed report as per Para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (conservation) Act, 1980 is attached. (N/A)
- Specific recommendation for acceptance or other wise of the proposal.

**The Project is recommended as it would benefit Public.**

Place :- Muzaffarnagar

Date:- .....

*Suraj*  
25/01/2021  
(Suraj)  
Divisional Director (सूरज)  
Social Forestry Division प्रमाणीय निदेशक  
Muzaffarnagar सामाजिक वानिकी प्रमा  
मुजफ्फरनगर

N.B X- Stage the purpose for which the forest land is proposed to be diverted xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable. As per letter number 2-2/2000 F.C dated, 16.10.2000 from ministry of Environment & Forest, land the site inspection report form DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.